D.F.A.

# न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या : 29/2018 अपील**

**उनवान**

| | | |
|---|---|---|
| श्री महावीर कुमार पुत्र गेहरीलाल मेहता निवासी जबरकिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा<br>---अपीलार्थी | **बनाम** | 1.राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा<br>---प्रत्यर्थी |

**अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तु (वितरण विनियम) आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भीलवाडा प्रकरण सं. 97/2017 दिनांक 06.07.2018 एवं 11.07.2018**

**उपस्थित :-** 1. श्री रामनिवास गुप्ता अधि0 अपीलान्ट की ओर से
2. प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पेरोकार

## निर्णय

**दिनांक : 14/10/.2019**

अपीलार्थी की ओर से एक अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तु (वितरण विनियम) आदेश 1976 के तहत प्रस्तुत की जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जबरकिया क्षेत्र के लिये राशन कार्डधारियों को आवश्यक वस्तु वितरण करने के लिये जिला कलक्टर (रसद) जिला भीलवाडा ने राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अंतर्गत प्राधिकार संख्या 518/97 जारी किया हुआ है और अपीलार्थी विगत 21 वर्ष से अधिक समय से पंचायत क्षेत्र जबरकिया के कार्डधारियों को राज्य सरकार के आदेश/निर्देश के अनुसार समय पर आवश्यक वस्तु वितरण करता आ रहा है।

ग्रामवासियान के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व मिथ्या आधारों पर शिकायत की गई और प्रत्यर्थी ने आदेश संख्या रसद/प्रकरण/2017/423 दिनांक 14.07.2017 के द्वारा अपीलार्थी का लाईसेन्स निलम्बित कर दिया और श्री सांवरलाल जाट उचित मूल्य दुकानदार मोतीपुर को उक्त वितरण व्यवस्था सिपुर्द करने की आज्ञा जारी की है। प्रत्यर्थी ने नोटिस दिनांकित 24.07.2017 को कारण बताओ नोटिस जारी की अपीलार्थी की दुकान पर उपलब्ध सामग्री का सत्यापन करने पर 20 क्विंटल गेहूं कम पाया जाना व इसकी पूर्ति अपीलार्थी द्वारा बाजार से क्रय कर वितरण की जाना, मूल्य सूची का प्रदर्शन, ट्रांजेक्शन की प्रतियां देकर उपभोक्ताओं द्वारा काला बाजारी का आरोप लगाया जाना और स्टाक रजिस्टर संधारित नहीं होने का उल्लेख करते हुए अपीलार्थी से स्पष्टीकरण तलब किया गया और अपीलार्थी ने दिनांक 10.08.2017 को जवाब नोटिस प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि गेहूं, केरोसीन, शक्कर का स्टॉक बराबर पाया गया परन्तु एक वर्ष से गेहूं की छीजत नहीं मिली। इसके कारण अपीलार्थी ने बाजार से 20 क्विंटल गेहूं खरीदकर मैंने पूर्ति की और अन्य सामग्री क्रमशः गेहूं केरोसीन स्टाक अनुसार श्री सांवरलाल जाट को उपलब्ध कराया, उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायत में 100 से अधिक कार्डो की छाया प्रति व पास ट्रांसजेक्शन की प्रतियां लगाकर सामग्री का काला बाजारी बताया जो असत्य है। तथ्यतः दुकान पर भीड़ अत्यधिक होने से राशन कार्डो में प्रविष्टि नही हो पाई। परन्तु ''पॉस'' मशीन में



जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

संबंधित राशन कार्ड में वर्णित व्यक्तियों के अंगूठे से मशीन का ट्रांसजेक्शन किया गया है जिसे असत्य नहीं ठहराया जा सकता है। इसी प्रकार प्रत्यर्थी ने दिनांक 22.09.2017 को कपोल कल्पित आधारों पर नोटिस दिनांकित 22.09.2017 जारी कर केरोसीन, चीनी, 5180 किलोग्राम गेंहू का दुरूपयोग होना बताया है और प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को कार्यालय में तलब दबाव बनाया कि उक्त गेंहू व केरोसीन की राशि राजकोष में जमा करावें तब अपीलार्थी ने भयभीत एवं विवश होकर दिनांक 29.09.17 को उक्त नोटिस में वर्णित वस्तुओं की राशि 1,47,301/– रूपये जरिये चालान दिनांक 29.09.17 को जमा कराये है। इसके पश्चात् प्रत्यर्थी ने आदेश दिनांक 17.10.2017 से अपीलार्थी के लाइसेन्स को बहाल करने का आदेश जारी किया है।

"दैनिक भास्कर " समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार दिनांक 25.10.2017 के आधार पर प्रत्यर्थी ने शासन सचिव के कथित/कपोलकल्पित संदर्भ के आधार पर अपीलार्थी का लाईसेन्स पुनः दिनांक 06.11.2017 को निलम्बित कर दिया और उक्त वितरण व्यवस्था सांवरलाल जाट को सिपुर्द की गई।

अपीलार्थी ने व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एस.बी.सिविल रिट पीटीसन संख्या 15793/2017 प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.12.2017 से रोक लगाई गई और माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में प्रत्यर्थी ने आदेश दिनांक 07.12.2017 जारी किया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण संख्या 97/2017 में दिनांक 31.01.2018 को पुनः नोटिस जारी कर जवाब तलब किया (नोटिस में कोई अनियमितता का विवरण आदि दर्ज नहीं है) और अपीलार्थी ने दिनांक 21.03.2018 को जवाब नोटिस प्रस्तुत किया है जिसमें अपीलार्थी ने विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि अपीलार्थी ने कोई अनियमितता नहीं की है जवाब नोटिस एवं जवाब संलग्न किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पीटीसन नंबर 15793/2017 का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2018 को किया गया।

प्रत्यर्थी ने पुनः आदेश संख्या 223 दिनांक 07.06.2018 जारी कर अपीलार्थी की दुकान की जांच के लिये कमेटी क्रमशः तहसीलदार आसींद, प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा, प्रवर्तन निरीक्षक आसींद की गठित की, परन्तु वर्णित कमेटी ने अपीलार्थी की दुकान के अभिलेख आदि का कभी निरीक्षण/जांच नहीं की है। प्रत्यर्थी के अधीनस्थ प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.06.2018 को प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक ने अपीलार्थी की दुकान निरीक्षण किया जिसमें स्टाक में सिर्फ 1 क्विंटल 94 किलो गेहूं कम होना एवं 34 लीटर केरोसीन कम पाया गया और उक्त जांच दिनांक 19.06.2018 के संदर्भ में प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.07.2018 जारी किया जिसका जवाब 31.07.2018 को प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलार्थी ने स्थिति स्पष्ट करते है कि कोई अपीलार्थी द्वारा कोई कथित अनियमितता नहीं की है और अपीलार्थी दोषी नही है। प्रवर्तन निरीक्षक जी ने दिनांक 19.06.2018 को स्टाक में रखे गेहू के कट्टों का Average वजन 50 किलो मानते हुवे 66 कट्टे का वजन 33 क्विंटल मानते हुवे किया है, जबकि प्रत्येक गेहूं के कट्टे जो होल्सेलर के वहां से अपीलार्थी को उपलब्ध कराये जाते है का वजन प्रति कट्टा 51 किलो 500 ग्राम आता है और इस आधार पर गणना करने पर कुल 66 कट्टो का वजन 33 क्विंटल 99 किलो आता दिनांक 19.06.18 को जांच के दिवस स्टाक में 35 क्विंटल 24 किलोग्राम आता है और स्टाक में 66 कट्टों का 33 क्विंटल 99 किलो आता है। इस प्रकार 1 क्विंटल 24 किलो कम बनता है और राज्य सरकार रसद विभाग के परिपत्र दिनांक 17.02.1973 के अनुसार गेहूं की छीजत एक किलो प्रत्येक एक क्विंटल पर मानी गई है इस प्रकार 134 कट्टे जो वितरण के लिये प्राप्त हुवे थे मे छीजत का वजन कम रकने पर स्टाक कम होना नही बनता है। 1 सितम्बर 2016 से माह जून सन् 2018 तक कुल गेहूं 1385

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

क्विंटल 79 किलो 500 आसींद क्रय विक्रय समिति से प्राप्त हुआ है और कुल प्राप्त गेहूं में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 17.02.1973 की रोशनी में कुल छीजत गेहूं का वजन 14 क्विंटल के लगभग बनता है और उक्त छीजत अपीलार्थी ने कभी भी क्लेम नही की है। यदि छीजत के पेटे भी उक्त कमी गेहूं 1 क्विंटल 24 किलो को समायोजित करने पर भी कोई स्टाक कमी होना नही माना जा सकता है। केवीएसएस आसींद द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध कराये गये गेंहू की सूचना का स्टेटमेन्ट प्रस्तुत है।

प्रत्यर्थी ने आदेश दिनांक 06.07.2018 जारी कर अपीलार्थी के अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने की आज्ञा जारी की और उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 11424/2018 दाखिल की जिसमें माननीय न्यायालय ने निर्देश प्रदान किये कि विनियमन आदेश 1976 के आदेश 22 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत कर अपीलार्थी अनुतोष प्राप्त करे और अपीलार्थी को Leav to file appeal देते हुवे आदेश दिनांक 20.07.2018 से 5 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया और वर्तमान अपील को समयावधि में माने जाने का आदेश प्रदान किया। प्रत्यर्थी ने आदेश दिनांक 06.07.18 के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र 518/97 को निरस्त करने की आज्ञा जारी की है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाथी द्वारा प्रस्तुत जवाब का प्रश्नगत आज्ञा में कोई उल्लेख नही किया गया है, यही नही प्रश्नगत आज्ञा पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर भी प्रदान करने का कष्ट नहीं किया तथा सिर्फ और सिर्फ अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा तरतीब दिये कागजात के आधार पर प्रश्नगत आज्ञा पारित कर निश्चित रूप से अनुचित है। प्रश्नगत आज्ञा Non-application of mind से ग्रसित होकर टिकने योग्य नहीं है।

राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिये POS मशीन से व्यवस्था आरम्भ की है और ऐसी स्थिति में जिनका ना राशनकार्ड में दर्ज है वे ही POS मशीन पर अपना अंगूठा अंकित करते है तन्दुपरान्त POS मशीन से पर्ची निकलती है इसके पश्चात कार्डधारी को राशन उपलब्ध कराया जाता है और यही प्रक्रिया अपीलार्थी द्वारा अपनाई जाती आ रही है। उक्त POS मशीन की व्यवस्था के पश्चात किसी प्रकार के फर्जी इंद्राजात की कतई संभावना नही रहती है। प्रत्यर्थी के अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारी ने किसी भी राशनकाडधारी से इस तथ्य का सत्यापन करने का लेशमात्र भी प्रयास नहीं किया गया है कि उन्हे आवश्यक सामग्री अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई अथवा नहीं और सिर्फ कमी स्टाफ बताकर अपीलार्थी को अनुज्ञा पत्र बिना किसी जांच के ही निरस्त कर दिया है जो अनुचित है।

प्रत्यथी ने दिनांक 11.07.2018 को अपीलार्थी को कारण बताओं नोटिस जारी किया और इसी दिनांक अर्थात् 11.07.2018 को ही अपीलार्थी के अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया गया और उक्त तथ्य इस बात को इंगित करता है कि प्रत्यर्थी ने पूर्वाग्रह (Prconceived opinion) रखते हुए हुवे नोटिस जारी करने के बाद अपीलार्थी का जवाब नोटिस प्राप्त किये है जो कानूनन टिकने योग्य नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय के एस.बी.सिविल रिट पीटीशन नंबर 11424/2018 में दिनांक 20.08.2018 से यह अपील 15 दिवस की अवधि में प्रस्तुत की जा रही है जो समयावधि में है।

अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी भीलवाडा द्वारा जारी आदेश संख्या रसद/प्रकरण 97/–2017/2018/310 दिनांक 11.07.2018 एवं 06.07.2018 कि निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के अनुज्ञा पत्र/प्राधिकारी संख्या 518/97 को बहाल किये जाने आदेश प्रदान करावें।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 14.10.2019 को जवाब प्रस्तुत हुआ। पत्रावली तलब की गयी। पत्रावली प्राप्त होने पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस में वकील अपीलार्थी ने बताया कि उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायत में 100 से अधिक कार्डो की छाया प्रति व पास ट्रांसजेक्शन की प्रतियां लगाकर सामग्री का काला बाजारी बताया जो असत्य है। तथ्यतः दुकान पर भीड़ अत्यधिक होने से राशन कार्डो में प्रविष्टि नही हो पाई। परन्तु ''पॉस'' मशीन में संबंधित राशन कार्ड में वर्णित व्यक्तियों के अंगूठे से मशीन का ट्रांसजेक्शन किया गया है जिसे असत्य नहीं ठहराया जा सकता है।

आदेश संख्या 223 दिनांक 07.06.2018 जारी कर अपीलार्थी की दुकान की जांच के लिये कमेटी क्रमशः तहसीलदार आसींद, प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा, प्रवर्तन निरीक्षक आसींद की गठित की, परन्तु वर्णित कमेटी ने अपीलार्थी की दुकान के अभिलेख आदि का कभी निरीक्षण/जांच नहीं की है। प्रत्यर्थी के अधीनस्थ प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.06.2018 को प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक ने अपीलार्थी की दुकान निरीक्षण किया जिसमें स्टाक में सिर्फ 1 क्विंटल 94 किलो गेहूं कम होना एवं 34 लीटर केरोसीन कम पाया गया और उक्त जांच दिनांक 19.06.2018 के संदर्भ में प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.07.2018 जारी किया जिसका जवाब 31.07.2018 को प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलार्थी ने स्थिति स्पष्ट करते है कि कोई अपीलार्थी द्वारा कोई कथित अनियमितता नहीं की है और अपीलार्थी दोषी नही है।

प्रवर्तन निरीक्षक जी ने दिनांक 19.06.2018 को स्टाक में रखे गेहू के कट्टों का Average वजन 50 किलो मानते हुवे 66 कट्टे का वजन 33 क्विंटल मानते हुवे किया है, जबकि प्रत्येक गेहूं के कट्टे जो होल्सेलर के वहां से अपीलार्थी को उपलब्ध कराये जाते है का वजन प्रति कट्टा 51 किलो 500 ग्राम आता है और इस आधार पर गणना करने पर कुल 66 कट्टो का वजन 33 क्विंटल 99 किलो आता दिनांक 19.06.18 को जांच के दिवस स्टाक में 35 क्विंटल 24 किलोग्राम आता है और स्टाक में 66 कट्टों का 33 क्विंटल 99 किलो आता है। इस प्रकार 1 क्विंटल 24 किलो कम बनता है और राज्य सरकार रसद विभाग के परिपत्र दिनांक 17.02.1973 के अनुसार गेहूं की छीजत एक किलो प्रत्येक एक क्विंटल पर मानी गई है इस प्रकार 134 कट्टे जो वितरण के लिये प्राप्त हुवे थे मे छीजत का वजन कम रकने पर स्टाक कम होना नही बनता है। 1 सितम्बर 2016 से माह जून सन् 2018 तक कुल गेहूं 1385 क्विंटल 79 किलो 500 आसींद क्रय विक्रय समिति से प्राप्त हुआ है और कुल प्राप्त गेहूं में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 17.02.1973 की रोशनी में कुल छीजत गेहूं का वजन 14 क्विंटल के लगभग बनता है और उक्त छीजत अपीलार्थी ने कभी भी क्लेम नही की है। यदि छीजत के पेटे भी उक्त कमी गेहूं 1 क्विंटल 24 किलो को समायोजित करने पर भी कोई स्टाक कमी होना नही माना जा सकता है। केवीएसएस आसींद द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध कराये गये गेंहू की सूचना का स्टेटमेन्ट प्रस्तुत है।

अपीलाथी द्वारा प्रस्तुत जवाब का प्रश्नगत आज्ञा में कोई उल्लेख नही किया गया है, यही नही प्रश्नगत आज्ञा पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर भी प्रदान करने का कष्ट नहीं किया तथा सिर्फ और सिर्फ अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा तरतीब दिये कागजात के आधार पर प्रश्नगत आज्ञा पारित कर निश्चित रूप से अनुचित है। राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिये POS मशीन से व्यवस्था आरम्भ की है और ऐसी



जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

स्थिति में जिनका ना राशनकार्ड में दर्ज है वे ही POS मशीन पर अपना अंगूठा अंकित करते है तन्दुपरान्त POS मशीन से पर्ची निकलती है इसके पश्चात कार्डधारी को राशन उपलब्ध कराया जाता है और यही प्रकिया अपीलार्थी द्वारा अपनाई जाती आ रही है। उक्त POS मशीन की व्यवस्था के पश्चात किसी प्रकार के फर्जी इंद्राजात की कतई संभावना नही रहती है।

प्रत्यर्थी के अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी ने किसी भी राशनकाडधारी से इस तथ्य का सत्यापन करने का लेशमात्र भी प्रयास नहीं किया गया है कि उन्हे आवश्यक सामग्री अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई अथवा नहीं और सिर्फ कमी स्टाफ बताकर अपीलार्थी को अनुज्ञा पत्र बिना किसी जांच के ही निरस्त कर दिया है जो अनुचित है। निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी भीलवाडा द्वारा जारी आदेश संख्या रसद/प्रकरण 97/–2017/2018/310 दिनांक 11.07.2018 एवं 06.07.2018 कि निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के अनुज्ञा पत्र/प्राधिकारी संख्या 518/97 को बहाल किये जाने आदेश प्रदान करावें।

बहस में प्रवर्तन अधिकारी भीलवाड़ा विभागीय पेरोकार ने निवेदन किया कि अपीलार्थी के विरूद्व सरपंच ग्राम पंचायत मोतीपुर व ग्रामवासियान तहसील आसीन्द द्वारा शिकायत प्राप्त हुयी जिस पर जांच प्रवर्तन अधिकारी आसीन्द से करायी गयी। जिसमें 20 क्विन्टल गेंहू स्टॉक में कम पाया गया, जो डीलर द्वारा बाजार से खरीद कर स्टॉक की पूर्ति की गयी। भौतिक सत्यापन किया, दुकान के बाहर आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन नही किया गया। स्टॉक पंजिका नियमित रूप से संधारित नही की जा रही है। उचित मूल्य दुकानदार महावीर कुमार मेहता द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 5,6,8,11 17–सी एवं 18 का उल्लघंन किया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर उचित मूल्य दुकानदार को आदेश कमांक/रसद/प्रकरण/2017/423 दिनांक 14.07.2017 से निलम्बित किया गया एवं आदेश संख्या रसद/प्रकरण 97/–2017/2018/310 दिनांक 11.07.2018 एवं 06.07.2018 से अनुज्ञा पत्र/प्राधिकारी संख्या 518/97 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत है। निवेदन है कि अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व बहस के तथ्यों का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का परीक्षण किया जाने पर पाया गया कि–

1. सरपंच ग्राम पंचायत मोतीपुर व ग्रामवासियान तहसील आसीन्द द्वारा राशन डीलर के विरूद्व राशन सामग्री वितरण में अनियमितता की शिकायत प्रस्तुत की।
2. ग्रामवासियान की शिकायत पर जिला रसद अधिकारी भीलवाडा ने प्रवर्तन अधिकारी आसीन्द की रिपोर्ट आधार पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 8 व 9 के तहत उचित मूल्य दुकानदार महावीर कुमार मेहता जबरकिया तहसील आसीन्द को जारी प्राधिकार पत्र सं. 518/1997 को निरस्त किया गया।
3. न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के पत्रांक/रसद/प्रकरण/48/2018 दिनांक 11.07.2018 से महावीर कुमार मेहता उचित मूल्य दुकानदार जबरकिया तहसील आसीन्द को स्टॉक में 1.94 क्विंटल एनएफएसए गेंहू एवं 34 लीटर केरोसीन तेल कम पाये जाने से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
4. अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 10.08.2017 को जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को पत्र प्रेषित किया गया जिसमें अंकित किया गया कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राशन सामग्री की कालाबाजारी नही की गयी है। उपभोक्ताओं द्वारा 100 से अधिक राशन कार्ड की छाया प्रति व पॉस ट्रांसजक्शन की प्रतियां लगाकर राशन सामग्री की कालाबाजारी करना बताया है जो गलत हैं, क्योंकि दुकान पर भीड़ अधिक होने से कुछ राशन कार्ड में इन्द्राज नही हो

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पाया। इस हेतु भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का निवेदन किया गया एवं लाइसेन्स पुनः बहाल कराने की कृपा की गयी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रवर्तन अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 10.07.2017 का परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि जांच रिपोर्ट में शिकायतकर्ता के बयान नही लिये गये। राशनकार्डधारियों के भी बयान नही लिये गये। पॉस ट्रांसजेक्शन एवं राशन कार्ड की जांच के दौरान राशन सामग्री के स्टॉक का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट भी तैयार नही की गयी।

न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी भीलवाडा से पॉस मशीन लागू होने के बाद एनएफएसए गेंहू के वितरण में छीजत बाबत् परिपत्र उपलब्ध कराने के संबंध में जिला रसद अधिकारी भीलवाडा ने पत्रांक/रसद/अभियोजन/ 2019/648 दिनांक 14.10.2019 से पत्र प्रेषित कर बताया कि प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार रसद कार्यालय भीलवाडा में पॉस मशीन से एनएफएसए गेंहू के वितरण में छीजत बाबत् कोई परिपत्र उपलब्ध नहीं हैं।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 10.07.2017 बिना दस्तावेजी साक्ष्य तैयार की गयी हैं। शिकायतकर्ता एवं राशनकार्ड धारकों के बयान भी नहीं लिये गये। जांच रिपोर्ट तैयार करते समय राशन सामग्री का पॉस ट्रांसजेक्शन एवं राशनकार्ड के आधार पर भौतिक सत्यापन भी नही किया गया। प्रवर्तन अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 10.07.2017 के आधार पर जिला रसद अधिकारी भीलवाडा का आदेश कमांक/रसद/प्रकरण 97/–2017/2018/310 दिनांक 11.07.2018 एवं 06.07.2018 त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य हैं। अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

## आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 10.07.2017 बिना दस्तावेजी साक्ष्य तैयार की गयी हैं। शिकायतकर्ता एवं राशनकार्ड धारकों के बयान भी नहीं लिये गये। जांच रिपोर्ट तैयार करते समय राशन सामग्री का पॉस ट्रांसजेक्शन एवं राशनकार्ड के आधार पर भौतिक सत्यापन भी नही किया गया। प्रवर्तन अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 10.07.2017 के आधार पर जिला रसद अधिकारी भीलवाडा का आदेश कमांक/रसद/प्रकरण 97/–2017/2018/310 दिनांक 11.07.2018 एवं 06.07.2018 त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाता हैं। महावीर कुमार मेहता उचित मूल्य दुकानदार जबरकिया तहसील आसीन्द का प्राधिकार पत्र संख्या 518/1997 को पुनः बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14-10-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा